उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को मिलेगी गोल्डन कार्ड सुविधा

विशिष्ट उद्यमियों व प्रमुख औद्योगिक संगठनों के सरकारी कार्यालयों में निर्विघ्न प्रवेश एवं प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सुविधा

लखनऊ, 03 दिसम्बरए 2012

विशिष्ट उद्यमियों व प्रमुख औद्योगिक संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में निविघ्न प्रवेश एवं प्राथमिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड सुविधा हेतु शासनादेश जारी किया है।

इस सुविधा के विषय में बताते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– *"गोल्डन कार्ड सुविधा राज्य में उद्योगों के प्रति उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ही हिस्सा है। इससे उद्यमियों व प्रमुख उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों को अपनी समस्याओं के निराकरण अथवा अन्य उद्योग–संबंधित विषयों के लिए सरकारी कार्यालयों में प्रवेश में सुविधा होगी।*

यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संगठनों, जैसे– सीआईआई, पीएचडी चैम्बरर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इण्डियन इण्डस्ट्रीस एसोसिएशन, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री उवं फिक्की के प्रदेश अध्यक्ष तथा महामंत्री को उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त इन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी उनकी मांग के अनुसार यह कार्ड प्रदान किए जाएंगे। प्रति संगठन दो कार्ड अनुमन्य होंगे।

प्रदेश स्तरीय औद्योगिक संगठनों को एक कार्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।

यह सुविधा उन विशिष्ट उद्यमियों को भी उपलब्ध होगी जो प्रदेश में रु 200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों से सम्बन्धित होंगे। ऐसी इकाइयों के प्रवर्तक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को प्रति इकाई या प्रति समूह अधिकतम दो गोल्डन कार्ड दिए जा सकेंगे।

इस गोल्डन कार्ड को प्राप्त करने के लिए उद्योग बन्धु के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर आवेदन करना होगा। आवेदन के परीक्षणोंपरान्त एवं साक्ष्य के प्रमाणीकरण के बाद उद्योग बन्धु मुख्यालय गोल्डन कार्ड जारी करेगा तथा इसकी सूचना सचिवालय प्रशासन को भी देगा। धारक के उद्योग संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और समयबद्ध रूप से संपादित किए जाएंगे।

गोल्डन कार्ड एक ऐसा फोटोयुक्त पहचान पत्र होगा जिससे धारक सचिवालय, कलेक्ट्रेट व अन्य सरकारी कार्यालयों में निर्विघ्न प्रवेश कर सकेगा।